



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)



प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail: nulumup@gmail.com website: www.sudaup.org

पत्रांक- 930/241/NULM/तीन/2015(SM&ID-RO-EMP)

दिनांक- 9/12/16

**कार्यादेश**

दीनदयाल अन्तयोदय योजना (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप सं०-एफ-एन-के-14011/7/2013-यूपीए/एफटीएस-9789 दिनांक 03.08.2015 के अनुक्रम में नाबार्ड से सम्बद्धता/सी०एम०एम०यू०, डूडा बुलन्दशहर एवं कुशीनगर की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप सं०-929/241/एनयूएलएम/तीन/2015(SM&ID-RO-EMP) दिनांक 09.12.2016 के माध्यम से संदर्भ संस्था के रूप में इम्पैनल्ड किया गया है। उक्त इम्पैनल्ड संस्थाओं को उनके द्वारा आवेदित शहरों में से निम्नलिखित शहरों में प्रथमतः आवेदित शहरों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नानुसार स्वयं सहायता समूह एवं उनके फेडरेशन्स का गठन आदि कार्य हेतु निम्नानुसार लक्ष्य आवंटित किया जाता है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	शहर जहां प्रथमतः इम्पैनल्ड संस्था को कार्य आवंटित किया जाता है	शहरों को आवंटित लक्ष्य						
			स्वयं सहायता समूहों का गठन	स्वयं सहायता समूहों को RF दिये जाने का लक्ष्य	ALF गठन का लक्ष्य 15-16	CLF का गठन	ALF को रिवाल्विंग फंड दिये जाने का लक्ष्य	व्यक्तिगत बचत खाता खुलवाना	वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन
1	मानवोदय संस्थान, बाल खण्डी नाका, छोटी बाजार रोड, बांदा-210001	हरदोई	70	35	2	1	1	739	6
2	मन्नन देवी समाज सेवा संस्थान, ग्राम व पो०-सिकटा, कुशीनगर	कुशीनगर	50	25	1	1	1	186	2
3	सोसशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, टीचर्स कालोनी रोड, लाला बाबू चौराहा, बुलन्दशहर	खुर्जा	50	25	2	1	1	455	4

- उल्लिखित संस्थाओं को कार्य आवंटन इस आशय से किया जा रहा है कि सन्दर्भ संस्थाएं तीव्र गति से कार्यवाही आरम्भ करें तथा तत्काल क्षेत्र में सम्बन्धित शहरों के सी०एम०एम०यू०, डूडा से समन्वयन कर कार्य आरम्भ कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगी।
- उल्लिखित संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे तत्काल प्राविधानों के अनुसार रू० 1.00 लाख की बैंक गारन्टी जमा करते हुए अनुबन्ध करना सुनिश्चित करते हुए कार्य आरम्भ करें।

4. शहर विशेष हेतु इम्पैनल्ड संस्थाओं को स्वयं सहायता समूहों के गठन का उल्लिखित कार्य आवंटन शहरों में एस0एच0जी0 गठन हेतु उपलब्ध लक्ष्यों/राज्य स्तर पर उपलब्ध लक्ष्यों के सापेक्ष किया जा रहा है।
5. गाइड लाइन में प्रदत्त प्राविधान के अनुरूप विभिन्न सरकारी विभागों के साथ सम्बद्ध/कार्यरत/कार्यानुभव वाली संस्थाओं को इम्पैनल्ड हेतु निर्गत प्रस्ताव आमंत्रण हेतु सूडा के प्रत्रांक-043/241/ एनयूएलएम/तीन/2015(SM&ID-RO-EMP) दिनांक 22.12.2015 में उल्लिखित एस0एच0जी0 के गठन एवं दो वर्षों तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट हेतु संदर्भ संस्था को प्रति स्वयं सहायता समूह हेतु रू0 10,000/- का भुगतान दो वर्षों में 4 किश्तों में किया जाना प्राविधानित है। संदर्भ संस्थाओं को उक्त धनराशि एस0एच0जी0 व फेडरेशन्स का गठन, 2 वर्षों तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट, सामुदायिक गतिशीलता, क्षमता संवर्धन आदि कार्यों के सम्पादन हेतु दिया जायेगा, जो स्वयं सहायता समूहों के बैंक में खाता खोलने की तिथि से दो वर्षों हेतु अनुमन्य होगा, जिसके संबंध में एम0ओ0ए0 के अनुसार समस्त कार्यवाही संबंधित शहरों की शहर प्रबन्धन इकाई(सी0एम0एम0यू0)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा की जायेगी।
6. सभी संस्थाओं द्वारा संदर्भ संस्था के रूप में सभी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा जारी "(DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के निर्देशों, पूर्व में जारी प्रावधानों एवं समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, मिशन निदेशक, एस0यू0एल0एम0, सूडा एवं सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
7. सन्दर्भ संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यादेश एवं अनुबन्ध के उपरान्त अनुबन्ध की प्रति संबंधित शहर प्रबन्धन इकाई सी0एम0एम0यू0-जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को उपलब्ध कराते हुए शहर प्रबन्धन इकाई सी0एम0एम0यू0-जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) से इस लक्ष्य आवंटन के सापेक्ष विस्तृत कार्यादेश (क्षेत्रवार एस0एच0जी0 गठन, ए0एल0एफ0 एवं सी0एल0एफ0 गठन) प्राप्त कर उनके निर्देशन में तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें तथा अपने कार्यों की दैनिक रिपोर्ट सम्बन्धित शहर प्रबन्धन इकाई सी0एम0एम0यू0-जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को करना सुनिश्चित करें।
8. उल्लिखित शहरों को कार्य आवंटन इस कार्यालय के पत्रांक-352/241/NULM/Teen/2001(SM&ID)-II दिनांक-11.05.2016 के अनुक्रम में कतिपय संशोधनोपरान्त किया जा रहा है। संदर्भ संस्थाओं को उक्त कार्य आवंटन इस आशय से किया जा रहा है कि सन्दर्भ संस्थाएं तीव्र गति से तत्काल कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
9. स्वयं सहायता समूहों का गठन सन्दर्भ संस्थाओं/सी0डी0एस0 संदर्भ संस्थाओं द्वारा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) की रणनीति अपनाते हुए किया जायेगा। इस रणनीति के तहत क्षेत्र विशेष में पूर्व में गठित अच्छे स्वयं सहायता समूहों की भिन्न जानकार एवं कुशल सदस्यों को CRP के रूप में चिन्हित कर एस0एच0जी0 गठन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें संवेदित कर सक्षम बनाते हुए की जायेगी। सी0आर0पी0 अपने स्वयं के एस0एच0जी0 संचालन की रणनीति के आधार पर आवश्यकतानुसार सम्भावित एस0एच0जी0 की महिलाओं को अपने एस0एच0जी0 का एक्सपोजर कराकर एस0एच0जी0 गठन का कार्य संदर्भ संस्था के सहयोग से किया जायेगा। एस0एच0जी0 का गठन सी0आर0पी0 रणनीति पर ही किया जायेगा।
10. स्वयं सहायता समूहों के गठन के दिवस से पूर्व निर्धारित तीन रजिस्टर यथा सदस्यता एवं कार्यवाही रजिस्टर, बचत रजिस्टर, लोन रजिस्टर एवं व्यक्तिगत पासबुक दिया जायेगा। अन्य दिये जाने वाले अभिलेखों (रजिस्टर) का माडल शीघ्र ही एस0एम0एम0यू0, सूडा द्वारा उपलब्ध कराने पर दिया जायेगा।
11. स्वयं सहायता समूह गठन में पंचसूत्र का शत प्रतिशत निर्धारण कर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वयं सहायता समूहों की नियमित साप्ताहिक बैठक गइडलाइन के अनुरूप नियमित की जायेगी, जिसमें संदर्भ संस्था का प्रतिनिधि आवश्यक रूप में उपस्थित रहेगा एवं बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करेगा तथा सभी साप्ताहिक बैठकों की कार्यवाही एस0एच0जी0 कार्यवाही रजिस्टर में लिखी जायेगी।

13. संदर्भ संस्थाओं द्वारा सभी समूहों की आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक की शिड्यूल की प्रति सी0एम0एम0यू0, डूडा को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें किस दिन, किस समूह की बैठक किस समय पर, किस स्थल पर होगी का स्पष्ट उल्लेख होगा।
14. संदर्भ संस्थाओं द्वारा बुक कीपिंग का कार्य बुककीपर्स की पहचान कर करया जायेगा। बुक कीपर्स की पहचान समूह के सदस्य अथवा अन्य प्रतिनिधि को चिन्हित कर सघन प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कर कराया जायेगा।
15. संदर्भ संस्थाओं को इस कार्यादेश निर्गत के 10 दिनों के भीतर अपने शहर समन्वयक एवं एस0एच0जी0 गठन हेतु सी0आर0पी0 की सूची जिसमें नाम, पता, मो0 नम्बर आदि होगा, सी0एम0एम0यू0, डूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।
16. संदर्भ संस्थाओं के शहर समन्वयकों के साथ सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा साप्ताहिक आधार पर माह में चार बार सघन समीक्षा बैठक की जायेगी तथा बैठक का कार्यवृत्त निर्गत कर एस0एम0एम0यू0, डूडा को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
17. समूहों का गठन काम्पैक्ट एरिया आच्छादन के आधार पर किया जायेगा। काम्पैक्ट एरिया आच्छादन में शहरी गरीब क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर पहले चयनित किया जायेगा तथा अन्य क्षेत्रों को बाद में। गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक शहरी गरीब परिवारों से कम से कम एक महिला को एस0एच0जी0 से जोड़ना है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. समूह गठन में आवश्यकता का आंकलन एवं गतिशीलता सुनिश्चित किया जायेगा। ताकि समूह निरन्तर चलता रहे।
19. समूह की बैठकों में सामाजिक, आर्थिक मुद्दे, स्थानीय समस्याएं, विभिन्न योजनाओं की जानकारी, योजनाओं से लाभ लेने के तरीके, पहुंच आदि के साथ (DAY)-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी घटक की निरन्तर जानकारी दी जायेगी तथा मुख्य-मुख्य मुद्दे एवं निष्कर्ष को कार्यवाही में भी सम्मिलित किया जायेगा।
20. संदर्भ संस्थाओं द्वारा सी0एम0एम0यू0, डूडा को सभी औपचारिकताएं कार्यादेश निर्गत तिथि के 10 दिवसों में पूर्ण कर लिखित रूप में सी0एम0एम0यू0, डूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा, साथ ही फील्ड में समूह गठन की कार्यवाही का भी सत्यापन कराना आवश्यक होगा अन्यथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सी0एम0एम0यू0, डूडा कार्यादेश निरस्त की संस्तुति करने एवं अन्य विकल्पों पर विचार कर निर्णय लेते हुए एस0एम0एम0यू0 को अग्रसारित करेगा, जिस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।
21. समूहों के गठन में गुणात्मक पहलुओं पर विशेष बल दिया जायेगा।
22. संदर्भ संस्थाओं द्वारा समूह गठन की नियमित मासिक आख्या निर्धारित प्रारूप पर सी0एम0एम0यू0, डूडा को दी जायेगी। जिसमें सभी गतिविधियों का स्पष्ट उल्लेख होगा। समूहों के बैंकों में खुले खाते, गठित समूह गठन प्रक्रिया एवं बचत एवं ऋण का सही-सही ब्योरा उपलब्ध कराया जायेगा, अनुमानित आंकड़े नहीं दिये जायेंगे।
23. समूह गठन के प्रथम दिवस से ही आपसी लेन-देन की प्रक्रिया प्रारम्भ कराकर समूहों को आर्थिक स्वावलम्बन की तरफ अग्रसारित किया जायेगा।
24. संदर्भ संस्थाओं द्वारा समूह गठन के साथ ही ए0एल0एफ0 गठन, सी0एल0एफ0 गठन, समूहों को नियमानुसार रिर्वॉल्विंग फंड, बैंक लिंकेज, समूह सदस्यों का बैंको में व्यक्तिगत खाता खुलवाना वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन आदि कार्य समानान्तर रूप से किया जायेगा तथा मासिक आख्या में इसका उल्लेख किया जायेगा। इन सभी गतिविधियों की प्रगति के आधार पर ही संदर्भ संस्थाओं का आंकलन होगा।
25. इस कार्यक्रम के शासन की प्राथमिकता कार्यक्रम से आच्छादित होने के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
26. संदर्भ संस्थाओं द्वारा मासिक प्रगति आख्या सी0एम0एम0यू0 को उपलब्ध कराने के साथ ही साथ एम0आई0एस0 हेतु अपेक्षित अभिलेख नियमित रूप से पाक्षिक आधार पर सी0एम0एम0यू0 डूडा को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

27. सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा एस0एम0एम0यू0 को अपनी प्रगति आख्या भेजते समय संदर्भ संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में से अन्य सभी अपेक्षित आंकड़ों के साथ समूहों के बैंक में खुले खातों की प्रगति को ही रिपोर्ट किया जायेगा।
28. ए0एल0एफ0 का पंजीकरण होने के पश्चात प्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रस्ताव एवं माइयूल्स एस0एम0एम0यू0 को स्वीकृत हेतु उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त एस0एम0एम0यू0 द्वारा उस पर विचार एवं ए0एल0एफ0 प्रशिक्षण हेतु व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जायेगा।
29. सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा सभी संदर्भ संस्थाओं को स्पष्ट रूप से क्षेत्रों, कार्य क्षेत्रों का बंटवारा कर प्रति एस0एम0एम0यू0 को भी उपलब्ध करायी जायेगी। सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में आर0ओ0 की पाक्षिक समीक्षा बैठक कर सभी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
30. सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा विगत वर्ष के गठित सभी समूहों की जिनकी रिपोर्ट उनके द्वारा मार्च 2016 में एस0एम0एम0यू0 को उपलब्ध करायी गयी है का विधिवित नियमित अनुश्रवण किया जायेगा तथा सभी समूहों के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण कराया जायेगा, बैंक लिंकेज एवं रिवाल्विंग फंड भी पंचसूत्र की 03 माह की कार्यशीलता होने के आधार पर दिया जायेगा। ए0एल0एफ0 व सी0एम0एम0यू0 का गठन भी नियमानुसार कराया जायेगा।
31. सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा संदर्भ संस्थाओं की अपेक्षित प्रगति न होने की दशा में बिना विलम्ब के विकल्पों के साथ कार्यादेश निरस्त करने की कार्यवाही की संस्तुति एस0एम0एम0यू0 को की जायेगी।
32. सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा अनुबन्ध के अनुसार संदर्भ संस्थाओं को ससमय भुगतान बिना विलम्ब के किया जायेगा तथा भुगतान हेतु अपेक्षित अभिलेख कार्य आरम्भ के समय ही लिखित में उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये जायेंगे तथा संस्थाओं द्वारा अपेक्षित अभिलेख ससमय उपलब्ध कराया जायेगा ताकि भुगतान समय से किया जा सके।
33. सन्दर्भ संस्थाओं के माध्यम से एस0एम0एम0यू0 एवं उनके फेडरेशन के गठन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश एस0एम0एम0यू0, सूडा उ0प्र0 के पत्रांक-705/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SM&ID) दिनांक दिनांक 25.05.2015 एवं एस0एम0एम0यू0 के सभी सदस्यों को दिये जाने वाले समूह के बैंकों में खाता खुलवाने के उपरान्त दिये जाने वाले प्रशिक्षण का माडल रूपरेखा सूडा एस0एम0एम0यू0 के पत्र सं0-3281/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 24.11.2015 के साथ ही रिवाल्विंग फण्ड निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देश एस0एम0एम0यू0, सूडा के पत्र सं0-498/NULM/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 30.06.2016 एवं भारत सरकार आफिस मेमोरेण्डम सं0-एफ0एन0 के0-14012/15/2016 यूपीए/एफटीएस-16320 दिनांक 22.08.2016 के द्वारा (SM&ID) के अन्तर्गत किये गये संशोधन हेतु निर्गत किया गया है। उक्त सभी पत्र सूडा एवं भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हैं जिसको डाउनलोड कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक

दिनांक एवं पत्रांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा हरदोई, कुशीनगर एवं बुलन्दशहर उ0प्र0।
4. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परि0 निदेशक, डूडा हरदोई, कुशीनगर एवं बुलन्दशहर उ0प्र0।
5. परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी/शहर मिशन प्रबन्धक, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना डूडा, हरदोई, कुशीनगर एवं खुर्जा-बुलन्दशहर उ0प्र0।
6. सम्बन्धित संस्थाओं को तत्काल अनुबन्ध करते हुए कार्य आरम्भ करने हेतु।
7. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)  
मिशन निदेशक